

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-I/2018 / 182

दिनांक 18/06/2019

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग राजस्थान, जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प.10(7) वित्त/राजस्व/2013 लूज दिनांक 06.08.2018 एवं वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प.1(1) वित्त/राजस्व/16 दिनांक 25.09.2018 की निरन्तरता में प्री. 2016 के पेन्शनर्स एवं पारिवारिक पेन्शन में संशोधन हेतु पेन्शन संशोधन दल में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I को सेकिण्डमेन्ट के आधार पर सम्बन्धित कोषालयों में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्रमांक	लिक नम्बर	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I का नाम सर्वश्री	पदस्थापित विभाग/कार्यालय का नाम	कोषालय का नाम पेंशन संशोधन कार्य किया जाना है
1	2	3	4	5
1.	4455	दिनेश चन्द्र भट्ट स.ले.अ.ग्रेड-I	उद्यानिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	जयपुर (पेंशन)
2.	5090	नाथूलाल शर्मा स.ले.अ.ग्रेड-I	निदेशक, राज. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर	जयपुर (पेंशन)
3.	5709	वेदप्रकाश गुप्ता स.ले.अ.ग्रेड-I	स्टेट टैक्स अकादमी, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	जयपुर (पेंशन)
4.	536	प्रेमप्रकाश पुरोहित स.ले.अ.ग्रेड-I	निदेशालय, कृषि, जयपुर	जयपुर (पेंशन)
5.	6203	विमल कुमार पारीक स.ले.अ.ग्रेड-I	आयुक्तालय, परिवहन विभाग, जयपुर	जयपुर (पेंशन)

उक्तानुसार कालम संख्या 3 में अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर सम्बन्धित कोषाधिकारी के पास अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जावेगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

दिनांक 18/06/2019

क्रमांक: एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-I/2018 / 182
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय।
- संयुक्त निदेशक (कोष) कार्यालय हाजा।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि यदि उक्त कार्मिक तत्काल आपके पास रिपोर्ट नहीं करते हैं तो कृपया अविलम्ब ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in पर इस निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित विभाग/ कार्यालयाध्यक्षको भेजकर लेख है कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I को सातवें वेतन आयोग के आधार पर प्री 2016 के पेन्शनर्स एवं पारिवारिक पेन्शनर्स की पेन्शन संशोधन हेतु तत्काल कार्यमुक्त कराने की व्यवस्था करने का श्रम करावें। आप द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में यदि आपके क्षेत्राधिकार स्थित कोषालय में पेन्शन संशोधन का कार्य प्रारम्भ नहीं होता है अथवा यह महत्वपूर्ण कार्य पिछड़ता है तो ऐसी अप्रिय एवं अस्वीकार्य स्थिति की जिम्मेदारी इस निदेशालय की नहीं होगी।
- सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को भेजकर लेख है कि आप सम्बन्धित कोषालय में प्री 2016 के पेन्शनर्स की पेन्शन संशोधन हेतु अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कर सूचित करें तथा यदि आपको तत्काल कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अविलम्ब ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in एवं दूरभाष नम्बर 0141-2774134 इस निदेशालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।
- अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय
- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)